as grants and loans upto the end of July, 1955.

(i) *During* 1954-55. Rs. 4,36,635/- as grants, and Rs. 27,32,375/- as loan; and

(ii) *During* 1955-56. (upto July, 1955) Rs. 22,85,875/- as grants, and Rs. 24,60,096/- as loan.

(b) The information is being ascertained from the State Governments and will be placed on the Table of the Sabha when received.

Complaint Against Railway Official

325. Shri S. L. Saksena: Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1124 on the 28th April, 1955 and state:

(a) whether the case against the Medical Officer has since been investigated; and

(b) if so, the action taken against the officer concerned ?

The Deputy Minister of Railways and Transport (Shri Alagesan): (a) Yes.

(b) The charges were found baseless.

Accidents in Kolar Gold Fields

326. Dr. Rama Rao: Will the Minister of **Labour** be pleased to state the number of accidents and number of workers involved in these accidents in the Kolar Gold Fields during the last three years?

The Deputy Minister of Labour (Shri Abid Ali): The information is given below :—

Year	Number of accidents		Number of Persons	
	Fatal	Serious	killed	Injured
1952 . .	12	704	40	716
1953 . .	3	865	6	872
1954 . .	13	978	20	998

सम्पत्ति का प्राप्त करना

३२७. श्री सिंहासन सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-पूर्व रेलवे के कितने कर्मचारियों न सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों के अन्तर्गत अपने प्राप्त धन से मकान बनवाने अथवा अन्य सम्पत्ति प्राप्त करने के बारे में जनवरी १९५५ मे रेलवे अधिकारियों को सूचना दी है;

(ख) गोरखपुर के कितने रेलवे कर्मचारियों ने अपने नाम में, अपनी पत्नियों अथवा अन्य रिश्तेदारों के नाम में मकान बनवाये हैं और क्या उन्हों ने इस बात की सूचना अपने अधिकारियों को दी है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कोई जांच की गई है कि सम्बन्धित कर्मचारी अपनी आय से उन मकानों को बनवा सकते ; और

(घ) क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है जिन्हों ने नियमों के अन्तर्गत सम्पत्ति प्राप्त करने की सूचना सरकार को नहीं दी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) कोई नहीं ।

(ख) गोरखपुर के किसी रेल-कर्मचारी ने अभी तक इस तरह की कोई सूचना नहीं दी है कि उस ने अपने, अपनी पत्नी या रिश्तेदारों के नाम पर कोई मकान बनवाया है। फिर भी जो सूचना इकट्ठी की गई है उस से नीचे दी गई बातें मालूम हुई हैं :—

(१) उन कर्मचारियों की संख्या जिन्हों ने अपने नाम पर मकान बनवाये हैं १२

(२) उन कर्मचारियों की संख्या जिन्हों ने अपनी पत्नियों के नाम पर मकान बनवाये हैं १

(३) उन कर्मचारियों की संख्या जिन्हों ने दूसरों के साथ (भाइयों के साथ) मिल कर मकान बनवाये हैं २

(४) उन कर्मचारियों की संख्या जिन्हों ने अपने नाम पर जमीन खरीदी है ४

(ग) एक मामले को छोड़ कर जिस में किसी बाहरी आदमी की शिकायत पर एक